



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं०-आर-1/82, राजनगर, गाजियाबाद के भू-स्वामी श्री सुरेन्द्र कुमार, श्रीमती नीलम रानी, श्री हरिश चन्द्र व श्रीमती रेनू बाला द्वारा प्रश्नगत आवासीय भूखण्ड पर आवासीय के साथ व्यवसायिक क्रिया हेतु उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के अन्तर्गत शमन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश सं०-1323/2025/आठ-3099/208/2025 दिनांक 04 जुलाई 2025 के माध्यम से वर्तमान में प्रभावी उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के अन्तर्गत प्राधिकरण की योजनाओं में 24.00 मीटर या उससे अधिक चौड़ाई की सड़को पर आवासीय भू-उपयोग में मिश्रित भू-उपयोग अनुमत्य है।

उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 में मिश्रित भू-उपयोग के आवेदन पर स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व 30 दिन का समय प्रदान करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्राविधान है। अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव है तो आपत्ति/सुझाव की दो प्रतियों में प्रभारी प्रवर्तन जोन-3, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर दाखिल किया जा सकता है। निर्धारित समयवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर सचिव

ई-मेल : help@negda@gmail.com,  : @Gda Ghaziabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प